रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/90

REGISTERED No. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1990 (चैत्र 10, 1912)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1990 (CHAITRA 10, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	277
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	377
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	307
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	337
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	317
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1305
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . .	43
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules Regulations Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	277
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	377
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . .	307
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . .	337
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	317
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1305
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	43
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 1990

सं. 18-प्रेज/90.—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दीवान सिंह,
सिपाही संख्या 75,
बिहार सैनिक पुलिस,
पटना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अप्रैल, 1987 को करीब सात बजे प्रातः पुलिस उप-निरीक्षक श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि हथियारों से लैस डाकू धामारी और दबेराज खारवार अपने दल के अन्य साथियों के साथ पंडाहा के जंगलों में कुछ जघन्य अपराध करने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं । पुलिस उप-निरीक्षक ने तुरन्त सशस्त्र बलों को तैयार किया और डाकुओं के दल की खोज में पंडाहा जंगल की ओर चल दिए । जैसे ही पुलिस पार्टी फुलवारी पानी शिवनाथ-दर-कुन्ड के समीप पहुंची और उसने सुबह लगभग 9 बजे जंगल को घेरने की चेष्ठा की तो डाकुओं के दल के एक सदस्य ने दबेराज और साहबे को नाम लेकर पुकारा और उन्हें सावधान कर दिया । इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पार्टी को डराने के उद्देश्य से गोलियां चलाईं । श्री सिंह ने अपने दल को अपनी रक्षा हेतु जवाब में गोलियां चलाने का आदेश दिया । इसके साथ-साथ उन्होंने दो चौकीदारों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मुठभेड़ की सूचना देने के लिए भी भेज दिया । श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक ने अपने दल के कार्मिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखा तथा अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए एक हवलदार और कान्स-टेबल दीवान सिंह के साथ रेंगते हुए वे आगे बढ़े । उधर अपराधी छोटी पहाड़ी, जंगल तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि का लाभ उठाते हुए अंधाधुंध गोलिया चला रहे थे । श्री सिंह ने कान्सटेबल दीवान सिंह को एक हथगोला फेंकने का आदेश दिया और वे छिपकर धमारी और दबेराज खारवार की ओर बढ़े तथा अपराधियों से लगभग 30 गज की दूरी पर पहुंचने पर उन्होंने गोलियां चलाईं। इसी बीच कान्सटेबल दीवान सिंह भी उनके पास पहुंच गया और अपराधियों पर गोलियां चलाने लगा । उनमें से एक अपराधी को मार गिराया । यह मुठभेड़ तीन घंटे तक चली । इसी बीच पुलिस उप-अधीक्षक तथा कैमूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में कुमुक (लगभग 35 पुलिस कर्मियों) वहां पहुंचा । इससे पुलिस उप-निरीक्षक का उत्साह और बढ़ गया और वे धीरे-धीरे और आगे बढ़े और जब अप-राधियों से केवल 20 गज की दूरी पर रह गए तो उन्होंने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। भीषण गोलीबारी के उपरान्त, अपराधियों का मनोबल टूट गया और वे छोटी पहाड़ी और झाड़ियों इत्यादि का लाभ उठा कर भाग गए । खोज-बीन के बाद यह पाया गया कि दबेराज खारवार और साहबे खारवार समेत पांच अपराधी मारे गए । घटनास्थल से 140 खाली कारतूस समेत एक .315 राईफल, एक 12 बोर की डी. बी. बी. एल. बन्दूक और एक एस. बी. बी. एल. बन्दूक बरामद किए गए ।

इस घटना में श्री दीवान सिंह, सिपाही ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 अप्रैल, 1987 से दिया जाएगा ।

सं. 19-प्रेज/90.—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला रोहतास,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 अप्रैल, 1987 को करीब सात बजे प्रातः पुलिस उप-निरीक्षक श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि हथियारों से लैस डाकू धामारी और दबेराज खारवार अपने दल के अन्य साथियों के साथ पंडाहा के जंगलों में कुछ जघन्य अपराध करने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं । पुलिस उप-निरीक्षक ने तुरन्त सशस्त्र बलों को तैयार किया और डाकुओं के दल की खोज में पंडाहा जंगल की ओर चल दिए । जैसे ही पुलिस पार्टी फुलवारी पानी शिवनाथ-दर-कुन्ड के समीप पहुंची और उसने सुबह लगभग 9 बजे जंगल को घेरने की चेष्ठा की तो डाकुओं

के दल के एक सदस्य ने देवराज और साहेब को नाम लेकर आवाज दी और उनको सचेत कर दिया । इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पार्टी को डराने के उद्देश्य से गोलियां चलाईं । उप निरीक्षक ने अपने दल को अपनी रक्षा हेतु जवाब में गोलियां चलाने का आदेश दिया । इसके साथ-साथ उन्होंने दो चौकीदारों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मुठभेड़ की सूचना देने के लिए भी भेज दिया । श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक, ने अपने दल के कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखा तथा अपनी जानों को होने वाले प्रत्यक्ष खतरे की परवाह न करते हुए एक हवलदार और कांसटेबल दीवान सिंह के साथ रेंगते हुए वे आगे बढ़े । इधर अपराधी छोटी पहाड़ी, जंगल तथा ऊबड़-खाबड भूमि का लाभ उठाते हुए अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। उप निरीक्षक ने कान्सटेबल दीवान सिंह को एक हथगोला फेंकने का आदेश दिया और वे छिपकर घामारी और देवराज खारवार की ओर बढ़े तथा अपराधियों से लगभग 30 गज की दूरी पर पहुंचने पर उन्होंने गोलियां चलाईं। इसी बीच कान्सटेबल दीवान सिंह भी उनके पास पहुंच गया और अपराधियों पर गोलियां चलाने लगा । उनमें से एक अपराधी को मार गिराया । यह मुठभेड़ तीन घंटे तक चली । इसी बीच पुलिस उप-अधीक्षक तथा कैमूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में कुमुक (लगभग 35 पुलिस कर्मियों) वहां पहुंचा । इससे पुलिस उप-निरीक्षक का उत्साह और बढ़ गया और वे धीरे-धीरे और आगे बढ़े और जब अपराधियों से केवल 20 गज की दूरी पर रह गए तो उन्होंने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । भीषण गोलीबारी के उपरान्त अपराधियों का मनोबल टूट गया और वे छोटी पहाड़ी और झाड़ियों इत्यादि का लाभ उठा कर भाग गए । खोज-बीन के बाद यह पाया गया कि देवराज खारवार और साहेब खारवार समेत पांच अपराधी मारे गए । गोलीबारी के दौरान उप निरीक्षक नागेश्वर प्रसाद सिंह के दाएं घुटने में गहरी चोट लग रही थी। घटनास्थल से 140 खाली कारतूस समेत एक .315 राईफल, एक 12 बोर की डी. बी. बी. एल. बन्दूक और एक एस. बी. बी. एल. बन्दूक बरामद किए गए ।

इस घटना में श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 अप्रैल, 1987 से दिया जाएगा ।

सं. 20-प्रेज/90.—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरि किशोर,
सहायक उप-निरीक्षक,
सं. 1757/डब्ल्यू,
दिल्ली पुलिस,
दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

गोपाल ठाकुर गिरोह के सदस्यों ने अपने आप को केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर 24 दिसम्बर, 1988 को डिलाइट थियेटर के निदेशक श्री सुधीर रायजादा और उनके ड्राइवर गोविन्दराम का अपहरण किया । श्री सुधीर रायजादा और गोविन्दराम को बन्दूक की नोक पर ले जाया गया । श्री रायजादा को फरीदाबाद में एक मकान में रखा गया और श्री गोविन्दराम को आगरा की तरफ ले जाया गया । अपहरणाकर्ताओं ने श्री रायजादा को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपये की फिरौती राशि की मांग की । दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने, श्री हरि किशोर, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक सहित, 12 दिन तक इस अपहरण की तहकीकात की और 5 जनवरी, 1989 को अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में सफल हुए तथा श्री रायजादा को मुक्त किया ।

इस मामले पर कार्य कर रहे दल को अपहरणकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही मारुति वैन सं. यू.जी.यू. 6293, जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल के पास खड़ा किया गया था, के बारे में सूचना प्राप्त हुई । श्री हरि किशोर और दल के अन्य सदस्य वैन में बैठे उन व्यक्तियों को देखने के लिए घटना स्थल पर गये, जिनपर अपहरणकर्ता होने का संदेह हुआ । जैसे ही श्री हरि किशोर और दल के अन्य सदस्य होटल के प्रथम तल पर एक ट्रैवल एजेन्सी के कार्यालय में गए, तो अनिल कुमार कश्यप उर्फ गंगा और चिकित्सा छुट्टी पर चल रहे कान्सटेबल अत्तर सिंह उर्फ पहलवान नामक दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस की उपस्थिति का आभास हो गया । अनिल कुमार कश्यप तत्काल होटल भवन के प्रथम तल से बाहर सड़क पर कूद पड़ा, जबकि दूसरे ने अपने हथियार निकाले और पुलिस दल पर गोली चलाई । अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए श्री हरि किशोर भी होटल भवन के प्रथम तल से नीचे सड़क पर कूद पड़े और अनिल कुमार कश्यप का पीछा किया । श्री हरि किशोर, कश्यप को पकड़ने में सफल हो गए, जो इस कार्यवाई में कुछ जख्मी हो गया था । दो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद श्री हरि किशोर और पुलिस दल फरीदाबाद के उस मकान में गए, जहां श्री सुधीर रायजादा को बन्दी बनाकर रखा गया था और वे उन्हें छुड़वाने में सफल हो गए ।

इस घटना में श्री हरि किशोर, पुलिस सहायक उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी, 1989 से दिया जाएगा ।

राजीव महर्षि,
राष्ट्रपति का उप सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1990

आदेश

विषय : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई अपतट विस्तार-III क्षेत्र के 2700 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ-12012/78/89-ओ० एन० जी० डी०-4—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की द्वारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून, को (जिसे इसमें इसके बाद आयोग कहा गया है) बम्बई अपतट विस्तार-III क्षेत्र के लिए 2,00 वर्ग किलो मी० क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की 20-11-1989 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए है ।

2. लाईसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी ।

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हेड कन्डैन्सेट पर 192 रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी ।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) को अदायगी, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

(घ) आयोग लाईसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हेड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा ।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1969 के नियम II की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8 रुपये

(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40 रुपये

(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200 रुपये

(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400 रुपये

(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600 रुपये

(छ) आयोग को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा तथा हर 6 महीनें में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, ध्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और या उसकी सतह पर आग बझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और सीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्यरूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण शुरू करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई सम्पूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है ।

अनसूची "क"

बम्बई अपतट विस्तार-III क्षेत्र के 2700 वर्ग कि० मी० के लिए भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	अक्षान्तर	देशान्तर
ए	70° 50′ 00″	29° 00′ 00″
बी	70° 50′ 00″	19° 22′ 48″
एन-1	71° 00′ 00″	19° 18′ 00″
एम	71° 00′ 00″	19° 46′ 00″
सी	71° 30′ 00″	19° 46′ 00″
डी-1	71° 30′ 00″	20° 00′ 00″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग हैड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरो की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।.

हस्ताक्षर.....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

गरदयाल सिंह, डैस्क अधिकारी

उद्योग मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1990

सं० 27/5/89-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप धारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

1. श्रीमती आर० सम्युक्ता, सहायक निरीक्षण अधिकारी
2. श्री मुखोपाध्याय, सहायक निरीक्षण अधिकारी

एम० एल० शर्मा, अवर सचिव

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1990

शुद्धि-पत्र

सं० 4-2/83-एच० डब्ल्यू०-III—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त, 1989 के परिशिष्ट III का अधिक्रमण करते हुए दृष्टिबाधितार्थ संबंधी संशोधित समरूप परिभाषाएं निम्न प्रकार से पढ़ी जाएं :—

इन की गम्भीरता के आधार पर दृष्टिदोष विकलांगता श्रेणियां तथा प्रस्तावित विकलांगता प्रतिशतताएं

(सभी शुद्धियों सहित)

	बेहतर आंख	खराब आंख	दृष्टिदोष का प्रतिशत
श्रेणी ओ	6/9—6/18	6/24 से 6/36	20%
श्रेणी I	6/18—6/36	6/60 से शून्य	40%
श्रेणी II	6/60—4/60 अथवा दृष्टि का क्षेत्र 11°—20°	3/60 से शून्य अथवा दृष्टि का क्षेत्र 11° से 20°	75%
श्रेणी—III	3/60 से 1/60 अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10° या कम	1 फीट पर एफ० सी० से शून्य अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10° या कम	100%
श्रेणी—IV	1 फीट पर एफ० सी० से शून्य अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10 से कम	1 फीट पर एफ० सी० से शून्य अथवा दृष्टि का क्षेत्र 10 से कम	100%
एक आंख वाले व्यक्ति	6/6	एक फीट से लेकर शून्य तक एफ० सी०	30%

मूल्यांकन का तरीका वही होगा जैसा कि चिकित्सा परीक्षा हैंडबुक में सिफारिश की गई है।

मात्र 20% — 40% अथवा कम के दृष्टि दोष वाले केवल सहायक यंत्रों तथा उपकरण के हकदार होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाए। इस दजट अधिसूचना की प्रतियां केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्रि कार्यालय, लोक सभा, राज्य सभा सचिवालय को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

एस० एन० मेनन, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1990

संकल्प

सं. 15/12/88-आई. पी. एंड एम. सी./टी. आई. एस.—प्रो. एम. एन. श्रीनिवास की अध्यक्षता में भारतीय जन-संचार संस्थान, नई दिल्ली के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा के लिए गठित समिति के बारे में इस मंत्रालय के 28 फरवरी, 1989 तथा 6 नवम्बर, 1989 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में सरकार इस समिति की अवधि को 31 मई, 1990 तक बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के अध्यक्ष/सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व (ए.जी.सी.आर.)/केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशालय (डी.ए.सी.आर.) नई दिल्ली को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

इमतयाज ए. खान, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 16th March 1990

No. 18-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Diwan Singh,
Sepoy No. 75,
Bihar Military Police,
Patna,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 20th April, 1987, at about 0700 hours, Shri Nageshwar Prasad Singh, Sub-Inspector of Police, received information that fully armed dacoits Ghamari and Deoraj Kharwar alongwith other members of the gang, had assembled in the jungle of Pandaha to commit some heinous crime. Shri Nageshwar Prasad Singh immediately marshalled the armed force and proceeded towards Pandaha jungle in search of the gangsters. As the Police party approached Phulwaripani Shivanath Dar Kund and tried to

encircle the jungle, at about 0900 hours, one of the gangsters called out Deoraj and Saheb by name and alerted them. They simultaneously opened fire to deter the Police party. Shri Singh ordered his men to return the fire in self defence. At the same time, he despatched two chowkidars to his senior officers to inform them of the encounter. Shri Nageshwar Prasad Singh, Sub-Inspector kept the morale of the force high and bravely crawled forward alongwith a Havildar and Constable Diwan Singh, disregarding the risk to their lives. The criminals were firing indiscriminately taking advantage of hillock, jungle and uneven ground. Shri Singh ordered Constable Diwan Singh to explode a grenade and under cover he himself advance further towards Ghamari and Deoraj Kharwar and on reaching about 30 yards away from the criminals, opened fire. Shri Diwan Singh, Constable, also followed him and opened fire on the criminals. One of the criminals struck down. The encounter continued for about 3 hours. In the meantime re-inforcement (about 35 Police personnel), headed by Deputy Superintendent of Police and a Inspector of Police Station Kaumur, arrived there. Shri Nageshwar Prasad Singh further emboldened and again forged ahead and came up within 30 yards of the criminals and asked them to surrender. After a heavy exchange of fire, the criminals got demoralised and escaped taking advantage of hillock and shrubs etc. On search it was found that 5 criminals including Deoraj Kharwar and Saheb Kharwar had been killed. One .315 Rifle, one 12 bore DBBL gun and one SBBL gun alongwith 140 fired cartridges were recovered from the spot.

In this incident, Shri Diwan Singh, Sepoy, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th April, 1987.

No. 19-Pres/90.—The President is pleased to award the bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned office of Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Nageshwar Prasad Singh,
Sub-Inspector of Police,
District Rohtas,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 20th April, 1987, at about 0700 hours, Shri Nageshwar Prasad Singh, Sub-Inspector of Police, received information that fully armed dacoits Ghamari and Deoraj Kharwar alongwith other members of the gang, had assembled in the jungle of Pandaha to commit some heinous crime. Shri Nageshwar Prasad Singh immediately marshalled the armed force and proceeded towards Pandaha jungle in search of the gangsters. As the Police party approached Phulwaripani Shivanath Dar Kund and tried to encircle the jungle, at about 0900 hours, one of the gangsters called out Deoraj and Saheb by name and alerted them. They simultaneously opened fire to deter the Police party. Shri Singh ordered his men to return the fire in self defence. At the same time, he despatched two chowkidars to his senior officers to inform them of the encounter. Shri Nageshwar Prasad Singh, Sub-Inspector kept the morale of the force high and bravely crawled forward alongwith a Havildar and Constable Diwan Singh, disregarding the risk to their lives. The criminals were firing indiscriminately taking advantage of hillock, jungle and uneven ground. Shri Singh ordered Constable Diwan Singh to explode a grenade and under cover he himself advance further towards Ghamari and Deoraj Kharwar and on reaching about 30 yards away from the criminals, opened fire. Shri Diwan Singh, Constable, also followed him and opened fire on the criminals. One of the criminals struck down. The encounter continued for about 3 hours. In the meantime re-inforcement (about 35 Police personnel), headed by Deputy Superintendent of Police and a Inspector of Police Station Kaimur, arrived there. Shri Nageshwar Prasad Singh further emboldened and again forged ahead and came up within 20 yards of the criminals and asked them to surrender. After a heavy exchange of fire, the criminals got demoralised and escaped taking advantage of hillock and shrubs etc. On search it was found that 5 criminals including Deoraj Kharwar and Saheb Kharwar had been killed. In the exchange of fire the Sub-Inspector Nageshwar Prasad Singh received grievous injury in his left ankle. One .315 Rifle one 12 bore DBBL gun and one SBBL gun alongwith 140 fired cartridges were recovered from the spot.

In this incident, Shri Nageshwar Prasad, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th April, 1987.

No. 20-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hari Kishore,
Assistant Sub-Inspector No. 1757/W,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th December, 1988, Shri Sudhir Raizada, Director of Delite Theatre, was kidnapped alongwith his driver Govind Ram by the members of Gopal Thakur Gang, who posed as CBI officials. Shri Sudhir Raizada and Govind Ram were taken away at gun point, Shri Raizada was kept in a house at Faridabad and Shri Govind Ram was taken towards Agra. The kindnappers demanded a ransom of Rs. 50 lakhs for the release of Shri Raizada. The Delhi Police Officers, including Shri Hari Kishore, Assistant Sub-Inspector of Police, worked for twelve days and were able to nab the kidnappers on 5th January, 1989 and rescued Shri Raizada.

The team working on the case got a lead about a Maruti Van No. UGU-6293 being used by the kidnappers which was parked near a hotel close to New Delhi Railway Station. Shri Hari Kishore and other team members went to the spot to look for the occupants of the van, who were suspected to be the kidnappers. As Shri Hari Kishore and other team members went up to a travel agency on the first floor of the hotel, two of the kidnappers, Anil Kumar Kashyap alias Ganga and Attar Singh alias Pehalwan, a Constable on medical leave suspected the police presence. Anil Kumar Kashyap immediately took a leap from the first floor of the building to the road outside, while the other took out his weapon and opened fire at the police party. Shri Hari Kishore, in utter disregard to his personal safety, also took a leap from the first floor of the building down to the road and followed Anil Kumar Kashyap. Sh. Hari

Kishore was able to catch Kashyap, who was partly injured in the process. Following the arrest of the two kidnappers, Shri Hari Kishore and party reached the house at Faridabad where Shri Sudhir Raizada was kept hostage and they were able to rescue him.

In this incident, Shri Hari Kishore, Assistant Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th January, 1989.

RAJIV MEHRISHI, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

New Delhi, the 5th March 1990

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Bombay Offshore Extension III area measuring 2700 sq. Kms.

No. O-12012/78/89-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commismision) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Pertoleum for four years from 20-11-1989 for Bombay offshore Extension III area measuring 2700 sq kms, the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Department of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 8/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE—'A'

Geographical coordinates of Bombay Offshore Extension-III area measuring 2700 sq. k ms.

Points	Longitude	Latitude
A	70° 50′ 00″	20° 00′ 00″
B	70° 50′ 00″	19° 22′ 48″
N_1	71° 00′ 00″	19° 18′ 00″
N	71° 00′ 00″	19° 46′ 00″
C	71° 30′ 00″	19° 46′ 00″
K_1	71° 30′ 00″	20° 00′ 00″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleums exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 1990

No. 27/5/89-CL. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 209 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise the following officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209 A.

1. Smt. R. Samyukta, Asstt. Inspecting Officer.
2. Shri G. Mukhopadhayay, Asstt. Inspecting Officer.

M. L. SHARMA, Under Secy

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 23rd February 1990

CORRIGENDUM

No. 4-2/83-HW-III—In supersession of Appendix III of this Ministry's Notification of even no. dated 6th August, 1989 the Uniform Definitions for Visually Handicapped may be read, as follows:—

VISUAL IMPAIRMENT DISABILITY CATEGORIES BASED ON ITS SEVERITY AND PROPOSED DISABILITY PERCENTAGES.

	(All with corrections) Better eye	Worse eye	Percentage impairment
Cagegory O	6/9 —6/18	6/24 to 6/36	20%
Category I	6/18—6/36	6/60 to nil	40%
Category II	6/60—4/50 or Field of vision 11°—20°	3/50 to nil or Field of vision 11° to 20°	75%
Category III	3/60 to 1/60 or field of vision 10° or less	F.C. at 1 ft. to nil or field of vision 10° or less	100%
Category IV	F.C. at 1 ft. to nil or Field of vision less than 10°	F.C. at 1 ft. to nil or Field of vision less than 10°	100%
One eyed persons	6/6	F.C. at 1ft. to nil	30%

The method of evaluation shall be the same as recommended in hand book of Medical Examination.

Impairment of 20%—40% or less may only be entitled to aids and appliances.

ORDER

ORDERED that the above notification be published in the Gazette of India for general information. Copies of the Gazette notification may be sent to all Ministries/Departments of the Central Government, all State Governments/UT Administrations, President Sectt., Prime Minister's Office, Lok Sabha, Rajya Sabha Sectt. for information and necessary action.

S. N. MENON, Jt Secy

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCACTING

New Delhi, the 28th February 1990

RESOLUTION

No. 15/12/88-IP&MC/C.S.—In continuation of this Ministry's Resolutions of even number dated 28th February, 1989 and 6th November, 1989, regarding the consititution of a Committee to review the performance of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi under the Chairmanship of Prof. M. N. Srinivas, Government are pleased to extend the term of the Committee up to 31st May, 1990.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Committee, all Ministries and Departments of the Government of India, AGCR/DACR, New Delhi.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. A. KHAN, Jt. Secy

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, 1990